भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 4455**
27 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

## स्वयं सहायता समूहों को बीज पूंजी सहायता

**4455. श्री पी.पी चौधरी:**
**श्रीमती भारती पारधी:**
**श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:**
**श्री रमेश अवस्थी:**
**डॉ. के. सुधाकर:**
**श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के समग्र विकास और स्थिरता में बीज पूंजी सहायता किस प्रकार से योगदान करती है;

**(ख)** फरवरी 2025 तक उक्त योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समहों (एसएचजी) को बीज पूंजी सहायता के रूप में स्वीकृत राशि कितनी है;

**(ग)** इस बीज पूंजी सहायता का स्थानीय अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि कई स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं;

**(घ)** फरवरी 2025 तक विशेष रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों की संख्या कितनी है और इसका वित्तीय मूल्य कितना है;

**(ङ)** फरवरी, 2025 तक उक्त योजना के अंतर्गत विशेषकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्वीकृत और संचालित इनक्यूबेशन केंद्रों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

**(च)** वर्ष 2024-25 के दौरान कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विशेषकर सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एमएसएमई के रूप में संचालित होने वाले क्षेत्रों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री**
**(श्री रवनीत सिंह)**

**(क) से (ग)**: केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" के तहत प्रारंभिक पूंजी सहायता संबंधित एसएचजी महासंघ द्वारा निर्धारित लचीली शर्तों पर संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करके खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के समग्र विकास और स्थिरता में योगदान देती है। इसके अलावा, प्रारंभिक पूंजी एसएचजी नेटवर्क के कॉर्पस फंड में रहती है, जो अन्य एसएचजी सदस्यों की सहायता करने के लिए प्रसारित होती है और मार्जिन मनी योगदान के माध्यम से औपचारिक बैंक ऋण तक पहुँच में मदद करती है। जैसे-जैसे महिलाओं को आर्थिक नियंत्रण प्राप्त होता  है, यह उनकी आजीविका में सुधार करता है और लैंगिक समानता, सामाजिक समावेश और परिवार के समग्र सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए उपलब्ध सहायता का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है ।

28 फरवरी, 2025 तक कुल 3,27,074 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को 1101.27 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी सहायता मंजूर की गई है ।

**(घ):** 28 फरवरी , 2025 तक 10138.64 करोड़ रुपये की राशि के 1,27,758 ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से क्रमश: मध्य प्रदेश राज्य में 742.07 करोड़ रुपये की राशि के 8570 ऋण स्वीकृत किए गए हैं तथा महाराष्ट्र राज्य में 1162.68 करोड़ रुपये की राशि के 22,167 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

**(ङ):** 28 फरवरी 2025 तक , मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश में 75 इनक्यूबेशन सेंटर स्वीकृत किए गए हैं , जिनमें से 17 इनक्यूबेशन सेंटर पूरे हो चुके हैं/ चालू हो चुके हैं। इनक्यूबेशन सेंटरों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है ।

**(च):** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ( एमओएफपीआई ) द्वारा कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित " प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कर्नाटक राज्य को 60.00 करोड़ रुपये का केंद्र हिस्सा जारी किया गया है । इस योजना के तहत, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए 188.81 करोड़ रुपये की राशि के 1950 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। परंतु, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को 2024-25 के दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत विशेष रूप से एमएसएमई के रूप में काम करने वालों को दी गई सहायता का डेटा एमओएफपीआई द्वारा नहीं रखा जाता है।

*****

***अनुबंध-I***

**दिनांक 27.03.2025 को उत्तर हेतु" स्वयं सहायता समूहों को प्रारंभिक पूंजी सहायता" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4455 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

देश में पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत ओडीओपी उत्पादों सहित सभी उत्पादों के लिए निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है :

(i) *व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से ऋण-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) *प्रारंभिक पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता:* कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी , जो प्रत्येक स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये होगी।

(iii) *सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता:* सामान्य अवसंरचना की स्थापना के लिए एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सहायता देने के लिए 35% की दर से ऋण लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक होगी।

(iv) ब्रांडिंग *और विपणन सहायता:* एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) *क्षमता निर्माण:* इस योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने और उत्पाद विशिष्ट कौशल के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) हेतु प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है।

*अनुबंध- II*

**दिनांक 27.03.2025 को उत्तर हेतु " स्वयं सहायता समूहों को प्रारंभिक पूंजी सहायता " के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4455 के भाग (ङ)) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

**इनक्यूबेशन केंद्रों का राज्यवार विवरण**

| **क्र.सं.** | **राज्य** | **इन्क्यूबेशन सेंटर को मंजूरी दी गई** | **इनक्यूबेशन सेंटर पूर्ण/ चालू** |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 2 | 1 |
| 2 | असम | 1 | |
| 3 | बिहार | 2 | |
| 4 | छत्तीसगढ | 2 | |
| 5 | दिल्ली | 2 | |
| 6 | गोवा | 1 | |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 3 | |
| 8 | जम्मू और कश्मीर | 3 | |
| 9 | कर्नाटक | 14 | 6 |
| 10 | केरल | 1 | |
| 11 | लद्दाख | 2 | |
| 12 | मध्य प्रदेश | 3 | |
| 13 | महाराष्ट्र | 3 | 2 |
| 14 | मिजोरम | 1 | 1 |
| 15 | नागालैंड | 1 | |
| 16 | ओडिशा | 1 | |
| 17 | पंजाब | 1 | |
| 18 | राजस्थान | 8 | 3 |
| 19 | सिक्किम | 2 | |
| 20 | तमिलनाडु | 4 | 3 |
| 21 | तेलंगाना | 3 | 1 |
| 22 | त्रिपुरा | 1 | |
| 23 | उत्तर प्रदेश | 14 | |
| | **कुल योग** | **75** | **17** |

*****